



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27012026-269609
CG-MH-E-27012026-269609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947

No. 346]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 16 जनवरी, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 37A के तहत

का.आ. 374(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (वर्ष 1989 का 24वां) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत, “मुंबई सीएसएमटी-परेल (सीएसएमटी-कुर्ला चरण-II) के बीच 5वीं और 6वीं लाइन का निर्माण कार्य” महाराष्ट्र राज्य के मुंबई जिले में भूमि अधिग्रहण के लिए एक “विशेष रेलवे परियोजना” घोषित किया जाता है।, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी है।

[फा. सं. G197/5th & 6th Lines/PH-II/CSMT-PR/37A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 16th January, 2026

Under clause 37A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 374(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby notifies “**Construction of 5th & 6th lines between Mumbai CSMT-Parel (CSMT-Kurla Phase-II)**” under Central Railway, declared as a “**Special Railway Project**” for acquisition of land in Mumbai City, District of Maharashtra State, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G197/5th & 6th Lines/PH-II/CSMT-PR/37A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)